

## राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-462 / 2024

समयदीन

—अपीलार्थी

### बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।
3. सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर डिस्कॉम रामगढ, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.01.2025

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री कैलाश चन्द कटारा, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

### आदेश

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या-7592 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 पारित किया गया है, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. व जयपुर विद्युत वितरण नि.लि. के कर्मचारियों के सेवा विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को नहीं होना माना गया है।
2. अतः यह अपील इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी को छूट दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)